न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास अलवर (राज0)

अध्याशाषितः— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस0

दावा सं0	प्रवेश तिथि	निर्णयदिनांक
125/19	06.11.2019	28-9-22

उनवान

1.अतरसिंह पुत्र धान्दू उर्फ ध्यानसिंह जाति अहीर निवासी सैहदपुर बाग खैरथल तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान।

:— वादी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र गौरधन
2. फतेहसिंह
3. लीलाराम
4. रामजस पुत्रान मानसिंह
5. रामरति
6. उर्मिला
7. सुमन
8. राजबाला पुत्रियान ध्यानसिंह जाति अहीर निवासी सैहदपुर बाग खैरथल तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान।

:— प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक मय दुरुस्ती इन्द्राज

उपस्थितिः—1. श्री दमन यादव वकील वादीगण की ओर से।

2. प्रतिवादीगण 1 लगा0 8 की ओर से इकबाल जबाब दावा।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:–

वादी ने वाद पेश किया है कि आराजी खसरा संख्या 180 रकबा 1.0800 वाके ग्राम सैहदपुर बाग खैरथल तहसील किशनगढ़बास में स्थित है जो मिन वादी की खातेदार की आराजी है जो दावा हाजा में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबंदी संलग्न दावा हाजा पेश है। आराजी मेरे पिता धान्दू तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की आराजी थी तथा इससे पूर्व हमारे दादा गोरधन की आराजी थी। अब मानसिंह व धान्दू फौत हो गये जिनके वारीसान के नामान्तरण दर्ज होकर राजस्व रिकॉर्डस जमाबंदी में आ गया है। मिन वादी तथा प्रतिवादीगण की विरासत की आराजी है। जो बहामी बटवारे में मिन वादी के हिस्से में आई है तथा दीगर आराजी प्रतिवादीगण के नाम आई हुई है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं। विवादित आराजी मेरे हिस्से में आई है तथा मिन वादी ही काश्त करता चला आ रहा है। इससे पूर्व मेरा पिता काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 मेरी बहनें हैं इन्होंने भी अपना हिस्सा मुझे ही दे दिया है। विवादित आराजी पर मौके पर मेरा ही कब्जा काश्त है। आराजी मुतनाका मौके पर बिना बटी है तथा प्रतिवादीगण के नाम का अंकन मिनवादी के हिस्से की आराजी में आ रहा है जो वादी के हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर है जिसको दुरुस्त कराना निहायत आवश्यक है। इस हेतु दावा हाजा पेश अदालत है। दिनांक 23.10.2019 को प्रतिवादीगण ने ऐलानिया तौर पर धमकी दी है कि आराजी मुतनाजा से बेदख्ल कर कब्जा करेंगे। जो दावा हाजा के लिए दिनांक 23.10.2019 बिनाय दावी व बिनाय मुखासमत पैदा होकर दावा हाजा अंदर अवधि पेश है।

दावा हाजा बाबत प्रार्थना निम्न प्रस्तुत है:–

अ. आराजी खसरा संख्या 180 रकबा 1.080 वाके ग्राम सैहदपुर बाग खैरथल तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान में स्थित है जो मिनवादी की तन्हा बंटवारे की आराजी है। जिसमें प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 का नाम हजफ कर मिनवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी का राजस्व रिकॉर्ड में के नाम का अंकन कराया जावे।

ब. प्रतिवादीगण आराजी मुतनामा को दीगर जगह रहन बय से मुन्तकिल न करे।

स. दीगर दादरसी बनजदीक अदालत अता फरमाई जावे।

द. अनुतोष

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रविवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया प्रतिवादीगण 1 लगा 8 उपस्थित होकर इकबाल जवाब दावा पेश किया। वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई वादी ने साक्ष्य मे पीडब्लू–1 स्वंय का शपथ पत्र, पीडब्लू–2 फतेहसिंह पुत्र भानसिंह ,

पीडब्लू–3 महेन्द्रसिंह पुत्र गोरधन के ब्यान कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे जमाबंदी संवत 2071–74 प्रदर्श 1 लगा0 4, एक वाद लीलाकोर बनाम महेंन्द्र वगै0 अदालत उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास मु0न0 133/13 , प्रदर्श–6 जवाब दावा लीलाकोर बनाम महेन्द्र वगै0 मु0न0183/13, प्रदर्श –7 निर्णय लीलाराम बनाम महेन्द्र वगै0मु0 नं0 133/13निर्णय दिनांक 18.06.14 अदालत उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास प्रदर्श– 8 डिक्री मु0न0 133/13 मु0न0 133/13 लीलाराम बनाम महेन्द्र निर्णय दिनांक 18.4.14 अदालत उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास, प्रदर्श 9 लगा0 12 जमाबंदी संवत 2071–74 वाके ग्राम सदैपुर बाग खैरथल , प्रदर्श– 13–14 जमांबदी संवत 2038–42 वाके ग्राम सदैपुर बाग खैरथल पेश किये है।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दावा वादी डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

वादी अधिवक्ता की बहस के मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध सुसंगत दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट नही हो पाया है कि विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो की आराजी है। जिसे इस न्यायालय के माध्यम से अकेले वादी को नही दिया जा सकता है। विरासत इंतकाल के माध्यम से सभी वारिसो को आराजी मिलनी चाहिए तत्पश्चात अगर प्रतिवादी आराजी वादी को देना चाहे तो सब रजिस्टार के माध्यम से नियमानुसार आराजी का हस्तांतरण कर सकते है। इकबाल जवाब के माध्यम से अकेले वादी को आराजी देने से राजस्व हानि भी होती है। अतः यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य नही पाता है।

अतः आदेश है कि :–

वाद वादी बाबत आराजी खसरा संख्या 180 रकबा 1.0800 वाके ग्राम सैहदपुर बाग खैरथल तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। वाद नम्बर से कम होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(श्री गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास अलवर (राज0)

अध्याशाषितः— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस0

दावा सं0	प्रवेश तिथि	निर्णयदिनांक
125/19	06.11.2019	28.09.2022

उनवान

1.अतरसिंह पुत्र धान्दू उर्फ ध्यानसिंह जाति अहीर निवासी सैहदपुर बाग खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।

:— वादी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र गौरधन
2. फतेहसिंह
3. लीलाराम
4. रामजस पुत्रान मानसिंह
5. रामरति
6. उर्मिला
7. सुमन

राजबाला पुत्रियान ध्यानसिंह जाति अहीर निवासी सैहदपुर बाग खैरथल तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान।

:— प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक मय दुरुस्ती इन्द्राज

उपस्थितिः—1. श्री दमन यादव वकील वादीगण की ओर से।

2. प्रतिवादीगण 1 लगा0 8 की ओर से इकबाल जबाब दावा।

पर्चा डिक्री

वाद–वादी मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगीः–

वाद वादी बाबत आराजी खसरा संख्या 180 रकबा 1.0800 वाके ग्राम सैहदपुर बाग खैरथल तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। वाद नम्बर से कम होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

प्रस्तावित उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो नजरी नक्शा डिक्री का जुज रहेगा, खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

(श्री गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)